

झारखण्ड सरकार**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-राँची, बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी,
राँची, झारखण्ड-834002

राँची, दिनांक- 09/05/2017

विषय:- गुवा-सलाई पथ कि0मी0 11.00 से 29.00 फेज-II में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 7.67 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-297 दिनांक-20.04.2017 से प्राप्त प्रस्ताव मूल में एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है। विषयक प्रस्ताव के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

1. प्रस्तावित वनभूमि सारण्डा वन प्रमण्डल अंतर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित कुल 7.67 हे0 वनभूमि में PF 5.72 हे0 एवं RF 1.95 हे0 सन्निहित है। इसकी वनस्पति घनत्व 0.5 है।
2. प्रस्तावित वनभूमि का land schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र Form A Part-I में समर्पित किया गया है।
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट-2 एवं पार्ट-3 में क्रमशः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा अभियुक्ति तथा अनुशंसा दर्ज है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
5. पार्ट-IV में नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. समर्पित प्रस्ताव में पूर्व से अवस्थित रोड का ROW 12 मीटर प्रतिवेदित है।
7. प्रस्ताव के पार्ट-2 में उल्लिखित गणना सूची के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि पर कुल 1716 वृक्ष अवस्थित है।
8. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 के स्केल में टोपोशीट पर प्रस्तावित मार्ग को दर्शाते हुए नक्शा संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ मौजा-मैप संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल का ग्रामवार/प्लॉटवार/रकबावार/विस्तृत विवरणी संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ NPV एवं CA हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
12. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, का उल्लेख करते हुए समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-F.No-11-246/2014-FC दिनांक-04.07.2014 द्वारा दो लेन सड़क निर्माण संबंधी परियोजना में irrespective of forest area involved वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति देने हेतु general approval प्रदत्त है। भारत सरकार के पत्रांक-11-9/98-FC दिनांक-16.06.2011 एवं 13.05.2011 के अनुरूप इस तरह की परियोजनाओं में क्षतिपूरक वनरोपण insist नहीं किया जाना है। उक्त geneal approval में एक शर्त यह भी है कि प्रस्तावित वनभूमि में 50 वृक्ष प्रति हे0 से अधिक का पातन नहीं किया जाना है।

14. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्फेयर, टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय स्मारक, हाथी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। परन्तु संपूर्ण सिंहभूम रीजन गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित होने के कारण प्रस्तावित वनभूमि गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित हैं। मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के पत्रांक-398 दिनांक-13.12.2016 से प्राप्त मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रस्तावित वनभूमि वाला वन क्षेत्र विशेष कर हाथी, Sloth Bear, Reticulate Python, विभिन्न प्रकार के सरीसृप, पक्षियों आदि वन्यप्राणियों का पर्यावास तथा विचरण क्षेत्र है। अपयोजन प्रस्ताव से प्रभावित होनेवाले क्षेत्र के समुचित संरक्षण/प्रबंधन करने तथा संभावित मानव, वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु समग्र वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन किया जाना श्रेयष्कर होगा।

16. FRA 2006 के तहत उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक-1089(बी) दिनांक 16.09.2016 द्वारा दावारहित अनापति प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. प्रस्ताव के साथ Kml file संलग्न है। साथ ही Geo-reference Digital Plan Shape फाईल संलग्न है।
18. प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार पथ निर्माण विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।
19. गुवा-सलाई पथ के फेज-1 एवं 2 का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण के बारे में श्री आर0 के0 सिंह बनाम पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार National Green Tribunal Eastern Zone, Kolkata में OA सं0-124/2016/EZ दायर की गई है।

उक्त O.A. में माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 12.04.2017 को पारित आदेश द्वारा मामले के लोकहित में होने के कारण Urgently disposal का निर्देश दिया गया है।

20. वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने पार्ट-2 में प्रतिवेदित किया है कि उक्त परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, जिसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इसमें दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की शर्त लागू होगी।
 21. नोडल पदाधिकारी द्वारा मानक शर्तों पर इस परियोजना हेतु कुल 7.67 हे0 वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।
 22. प्रस्तावित पथ में चूँकि 50 वृक्ष प्रति हे0 से अधिक वृक्ष अवस्थित हैं एवं इसमें वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, अतएव निम्नांकित शर्तों के साथ प्रश्नगत 7.67 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-
- (क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।
 - (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
 - (ग) प्रश्नगत प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य किए गए वनभूमि के विरुद्ध दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से वसूलनीय होगी।
 - (घ) प्रश्नगत परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के समुचित संरक्षण/प्रबंधन करने तथा संभावित मानव वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु समग्र वन्यप्राणी योजना का क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करना होगा।
 - (ङ.) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बध्यकारी होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वसभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

PART – V

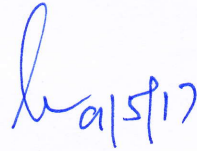
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 7.67 ha of Forest Land for Reconstruction of Gua-Salai Road K.M 11.00 to K.M 29.00 in favour of Road Construction Department.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 7.67 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no.1960 dated-...09/05/2017



Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

उप सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 09/05/2017

Place : Ranchi

(Official Seal)